

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उर सेवा का नाम, जिसमें वह हो पद्मसिंह शीखा 2. वर्तमान धारित पर शहरीयक प्रोसेसिंग बालकरी ।

3. वर्तमान वेतन 43500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 15/12/2018

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें रूपति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौर		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** *खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौर	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
भरख	भरख	भरख	भरख	भरख	भरख	भरख

* जहां लगान न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य अंदाजा जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रवेश पर्यन्त से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह जोड़ना-पूरा भर कर प्रत्येक वर्ष और उसमें वह उनके स्वाभिन्न की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके परिवार के किसी सदस्य के रूप पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या वंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौर दें।

हस्ताक्षर: Ameeef
 नाम: पद्मसिंह शीखा
 पद: जिला प्र. प्र. 1
 स्थान: उप बंधक, कर्मचारी